क्रमांक 434-2 जी0 एस0- 75/7211

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, अम्बाला तथा हिसार मण्डलों के आयुक्त, सभी उपायुक्त एवं उप मण्डल अधिकारी।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और सभी जिला सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ़ 13 मार्च, 1975

विषय :- राज्य सरकार के कर्मचारियों को एल0एल0बी0की योग्यता प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियां देना।

महोदय,

मुझे आदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान दिलाऊं और सूचित करूं कि राज्य सरका के कर्मचारियों को एल० एल० बी० की योग्यता प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियां देने के प्रश्न पर सरकार कुछ समय पहले से उ विचार कर रही थी, उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवा में प्रवेश करने पश्चात जिन कर्मचारियों ने एल0 एल0 बी0 की योग्यता प्राप्त की है उन्हें इन आदेशों के जारी होने की तिथि से दो अग्रिम वेत वृद्धियां उसी वेतन मान में दी जावे जिसमें वे उस दिन को कार्य कर रहे थे। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम वेतन वृद्धियां उन्हीं कर्मचारियों को देय होंगी जिनके केसों में यह योग्यता उन पदों के लिये निर्धारित योग्यताओं उच्चतर होगी जिन पर कर्मचारी वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं।

2. इसे वित्त विभाग की सहमति उनके अशाः क्रमांक 556-4 एफःआरः 75, दिनांक 3-3-1975 द्वारा प्रा कर जारी किया जाता है ।

भवदीय,

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक एक प्रति :-

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा, सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।